भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2587
04 /08/2026 को उत्तर के लिए

संधारणीय मत्स्यपालन प्रबंधन

2587. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है कि खाद्य सुरक्षा, निर्यात और रोजगार में मत्स्यपालन क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद देश के इस क्षेत्र को समुद्री मछली के घटते भंडार, अत्यधिक मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन, पर्यावास क्षरण, समुद्री प्रदूषण, मछली पकड़ने की हानिकारक प्रथाओं, बढ़ती प्रचालनात्मक लागत और पारंपरिक मछुआरा समुदायों के बीच बढ़ती आजीविका असुरक्षा के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों के संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) सरकार द्वारा वैज्ञानिक मात्स्यिकी प्रबंधन, मछली भंडार मूल्यांकन, पर्यावास पुनरुद्धार, समुद्री संरक्षण और मछली पकड़ने के प्रयासों के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का छोटे मछुआरों के लिए जलवायु अनुकूल अवसंरचना, बीमा, वैकल्पिक आजीविका, आधुनिक मत्स्यपालन प्रौद्योगिकियों और मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान संधारणीय मत्स्यपालन सुनिश्चित करने और मछुआरों की आय में सुधार करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): ICAR - केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा प्रकाशित भारत की समुद्री मत्स्य भंडार स्थिति (2022) के अनुसार, भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री मत्स्य भंडार स्वस्थ स्थिति में बना हुआ है। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकित 135 मत्स्य भंडार में से 91.1% संधारणीय स्तर पर पाए गए हैं। ICAR-CMFRI के सांख्यिकीय रूप से मान्य वैज्ञानिक नमूनाकरण कार्यक्रम और औसत वार्षिक विकास प्रवृत्तियों पर आधारित, वर्ष 2014-2023 के लिए भारत के मरीन फिश लैंडिंग का विश्लेषण समग्र रूप से एक मामूली वृद्धि के साथ स्थिर प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है, जिसमें समुद्री मत्स्य उत्पादन में निरंतर गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है।

ICAR ने आगे सूचित किया है कि ICAR-CMFRI तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अनुसंधान केंद्रों और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से फिश लैंडिंग की निरंतर निगरानी करता है और प्रमुख वाणिज्यिक तथा पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों के जैविक प्रदर्शन पर केंद्रित अनुसंधान आयोजित करता है। यह संस्थान वास्तविक समय के सर्वेक्षणों के माध्यम से तटीय पारि-प्रणाली के स्वास्थ्य की भी निगरानी करता है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI) भी इसी तरह भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में व्यवस्थित खोजपूर्ण सर्वेक्षणों के माध्यम से समुद्री मत्स्य संसाधनों की

स्थिति की निगरानी करता है, जिससे मत्स्यन के दबाव, जलवायु परिवर्तनशीलता, समुद्री प्रदूषण और आवास क्षरण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के लिए डिमर्सल और महासागरीय मत्स्य भंडारों के वितरण, प्रचुरता और जैविक विशेषताओं पर आधारभूत डेटा तैयार करता है।

इन संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि, यद्यपि समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान जैसे पर्यावरणीय तनावों को कुछ मत्स्य प्रजातियों के वितरण, प्रचुरता और मौसमी उपलब्धता को प्रभावित करते हुए देखा गया है, फिर भी केवल जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, तटीय क्षरण या अंतर्देशीय जल निकायों के प्रदूषण के कारण समग्र समुद्री मत्स्य उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष और अंतिम प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) से (ड़): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वैज्ञानिक मात्स्यिकी प्रबंधन, समुद्री संरक्षण और लघु पैमाने के मछुआरों के कल्याण को मजबूत करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। वर्ष 2015 से, सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिसके तहत ब्लू रिवोल्यूशन योजना, मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM MKSSY) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करने, मत्स्यन प्रयासों को विनियमित करने और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए, सरकार ने 4 नवंबर 2025 को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का संधारणीय उपयोग नियम, 2025 अधिसूचित किया है। यह ऐतिहासिक ढांचा एक पारि-प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाता है और प्रमुख संरक्षण उपायों को अनिवार्य बनाता है, जिसमें मत्स्य प्रजनन काल के दौरान मत्स्यन पर एकसमान प्रतिबंध; मत्स्यन के लिए न्यूनतम कानूनी आकार को लागू करना और बाईकैच कमी के उपायों को अपनाना; विनाशकारी और किशोर (कम उम्र की) मत्स्यन प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध; और पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

PMMSY के तहत, मत्स्य भंडारों के कायाकल्प और समुद्री पर्यावासों की बहाली के लिए लक्षित उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें व्यापक समुद्री रेंचिंग कार्यक्रम, कृत्रिम रीफ़्स की स्थापना, और समुद्री कछुओं की रक्षा करने के लिए ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) की तैनाती शामिल है। सतत मात्स्यिकी सुनिश्चित करने और लघु पैमाने के मछुआरों को अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम बनाने के लिए, विभाग की योजनाएं आजीविका विविधीकरण और अत्यधिक उपयोग वाले तटीय जल पर मत्स्यन दबाव को कम करने को प्राथमिकता देती हैं। मुख्य उपायों में खुले समुद्र में केज कल्चर, समुद्री शैवाल कृषि, सजावट मात्स्यिकी को बढ़ावा देना और आधुनिक गहरे समुद्र मत्स्यन जहाजों को शामिल करना शामिल है। पूरक प्रयास मात्स्यिकी अवसंरचना के उन्नयन, जलवायु-अनुकूल मत्स्यन गाँवों, आधुनिक बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, कोल्ड चेन और बाज़ार से जुड़ी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही पारंपरिक मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा जैसे सुरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं, और परिचालन का विस्तार करने, गहरे समुद्र के संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने तथा प्रसंस्करण एवं निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी सहकारी समितियों और FFPOs को सुदृढ़ करते हैं।
